बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

पटना–15 दिनांक–.....

संख्या–6 / खा0म0अरवल–02 / 2011...../ भारत–संविधान के अनुच्छेद 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार सरकार चौर, दियारा, तथा गंग बरार की लोक भूमि की अस्थायी बन्दोबस्ती हेतु निम्नलिखित राज्य नीति तुरंत के प्रभाव से घोषित करती है :–

"बिहार चौर, दियारा तथा गंग बरार की लोक भूमि की अस्थायी बन्दोबस्ती नीति, 2013"

राज्य में नदियों के प्रवाह के बदलने के कारण नदियों से भूमि निकलती एवं उनमें विलीन होती रहती है। नदियों से निकलने वाली भूमि कालान्तर में अत्यन्त उपजाऊ हो जाती है। ऐसी भूमि रैयती एवं सरकारी दोनो हो सकती हैं। नदियों में रहने की अवधि में भी रैयती भूमि पर सम्बन्धित रैयतों का अधिकार, स्वामित्व एवं हित अक्षुण्ण रहता है एवं नदियों से बाहर आने पर रैयतों को तत्काल उसका दखल पाने का अधिकार प्राप्त है। नदियों से निकलने वाली लोक भूमि की तत्काल अ–बन्दोबस्ती की स्थिति में, वह भूमि बहुधा असामाजिक तत्वों के द्वारा अवैध रूप से दखल कर ली जाती है, जिससे विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न होती है। नदी से निकली चौर/दियारा/गंग बरार क्षेत्र में पड़ने वाली लोक भूमि को सार्वजनिक प्रयोजन से, जिसमें वानिकी एवं बागवानी सम्मिलित है, हेतु उपयोग के लिए भूमि कर्णांकित करने अथवा खेती के प्रयोजन से अस्थायी बन्दोबस्ती हेतु प्रक्रिया निर्धारित करने के लिए यह नीति प्रवृत्त की जा रही है।

2. नीति से लाभ ।–(1) राज्य सरकार नदियों से निकली चौर, दियारा एवं गंग बरार की लोक भूमि का सरकार सार्वजनिक प्रयोजन से, जिसमें वानिकी एवं बागवानी सम्मिलित है, उपयोग कर सकेगी। इससे पर्यावरण संतुलन बनाये रखने के साथ–साथ पर्यटन को भी बढ़ावा मिल सकेगा।

(2) नदियों से निकलने वाली चौर, दियारा तथा गंग बरार की लोक भूमि, जो स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप खेती के योग्य हो गयी है, को सुयोग्य श्रेणियों यथा महादलित, अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एनेक्सर– **I** एवं **II** एवं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के साथ खेती के प्रयोजन से पांच वर्ष के लिए अस्थायी बन्दोबस्ती की जा सकेगी।

(3) नदियों से निकलने वाली कृषि योग्य लोक भूमि का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा।

(4) असामाजिक तत्वों के द्वारा ऐसी लोक भूमि पर गैरकानूनी कब्जा करने की प्रवृत्ति पर रोक लगायी जा सकेगी।

3. चौर, दियारा एवं गंग बरार की भूमि का सार्वजनिक उपयोग ।– राज्य सरकार यदि आवश्यक समझती है तो नदियों से निकली चौर, दियारा एवं गंग बरार की लोक भूमि अथवा उसके किसी भाग को पृथक कर सार्वजनिक प्रयोजन जिसमें वानिकी एवं बागवानी सम्मिलित है, के लिए कर्णांकित कर सकती है। ऐसी भूमि अथवा उसके किसी भाग को सार्वजनिक उपयोग हेतु कर्णांकित करने के लिए सम्बन्धित जिला के

समाहर्त्ता प्रस्ताव गठित कर प्रमण्डलीय आयुक्त के माध्यम से सरकार के समक्ष सहमति हेतु समर्पित करेंगे। सरकार की सहमति के उपरांत ऐसी भूमि अथवा उसके किसी भाग का सार्वजनिक उपयोग किया जा सकेगा।

4. खेती के प्रयोजनार्थ अस्थायी बन्दोबस्ती की प्रक्रिया ।– नदियों से निकलने वाली लोक भूमि की, जो स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप खेती के योग्य हो गयी हो, अस्थायी बन्दोबस्ती की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी :–

(i) नदियों से निकलने वाली चौर, दियारा तथा गंग बरार की लोक भूमि को, जो स्वरूप परिवर्तन के फलस्वरूप खेती योग्य हो गयी हो, खेती के प्रयोजनार्थ पाँच वर्षों के लिए अस्थायी बन्दोबस्ती की जा सकेगी।

(ii) जिला के समाहर्त्ता पूर्वोक्त भूमि की अस्थायी बंदोबस्ती के अनुमोदन के लिए अभिलेख के माध्यम से प्रमंडलीय आयुक्त को प्रस्ताव समर्पित करेंगे। अभिलेख के माध्यम से भूमि की विस्तृत विवरणी, चेक स्लिप, ट्रेस मैप, प्राथमिकता अनुक्रम के अनुसार लाभान्वितों की सूची, प्रति लाभान्वित बन्दोबस्त की जाने वाली भूमि का रकबा एवं चौहद्दी की विवरणी समाविष्ट होंगें।

(iii) प्रमंडलीय आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त होने पर, सम्बन्धित अनुमण्डल पदाधिकारी सम्बन्धित लाभान्वितों को पर्चा निर्गत करेगा।

(iv) बन्दोबस्त की गयी भूमि पर सम्बन्धित मौजे की भूमि की श्रेणी के अनुसार भू–लगान निर्धारित एवं वसूल किया जाएगा। सम्बन्धित मौजा के या तो संपूर्ण ग्राम के नदी के गर्भ में रहने अथवा किसी अन्य कारण से किसी भी श्रेणी की भूमि का भू–लगान निर्धारित नहीं रहने के मामले में बंदोबस्त भूमि का भू–लगान निकटस्थ मौजा के समान श्रेणी की भूमि के नियत भू–लगान के आधार पर निर्धारित किया जायेगा।

(v) बन्दोबस्त की गयी भूमि अहस्तांतरणीय होगी एवं बन्दोबस्ती अवधिपर्यन्त आनुवंशिक रूप से इसका न्यागमन (devolution) हो सकेगा।

(vi) बन्दोबस्त की गयी भूमि के विरूद्ध कोई सलामी/फीस वसूलनीय नहीं होगी।

(vii) बन्दोबस्ती प्रयोजनों हेतु प्रति परिवार अधिकतम रकबा उनके द्वारा पूर्व से धारित रकबा सहित एक एकड़ होगा।

(viii) बन्दोबस्त की गयी भूमि के पुनः नदियों में जाने की दशा में यह बन्दोबस्ती स्वतः रद्द हो जायेगी एवं सरकार के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। नदियों के गर्भ से पुनः निकलने के बाद ऐसी भूमि की पांच वर्षों के लिए खेती के प्रयोजनार्थ अस्थायी बन्दोबस्ती कंडिका–5 में यथा उल्लिखित प्राथमिकता के अनुक्रम के अनुसार, उपर्युक्त रीति से नये सिरे से की जायेगी।

5. अस्थायी बन्दोबस्ती हेतु अर्हताएं ।– अस्थायी बन्दोबस्ती की अर्हत्ताओं की प्राथमिकता निम्नलिखित अनुक्रम से होगी:–

(क) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले ऐसे महादलित परिवार जिनके पास कृषि भूमि न हो;

(ख) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले ऐसे महादलित परिवार जिनके पास पचास डिसमिल से अनधिक कृषि भूमि हो;

(ग) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले अन्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के परिवार, जिनके पास कृषि भूमि न हो;

(घ) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले अन्य अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के पचास डिसमिल से अनधिक कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार;

(ङ) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एनेक्सर–**I** के ऐसे परिवार जिनके पास कृषि भूमि न हो;

(च) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एनेक्सर–**I** के पचास डिसमिल से अनधिक कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार;

(छ) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एनेक्सर–**II** के ऐसे परिवार जिनके पास कृषि भूमि न हो;

(ज) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले पिछड़ा वर्ग एनेक्सर–**II** के पचास डिसमिल से अनधिक कृषि भूमि धारित करने वाले परिवार ;

(झ) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले युद्ध के दौरान शहीद हुए ऐसे सैनिकों का परिवार जिनके पास कृषि भूमि न हो;

(ञ) सम्बन्धित ग्राम में, जहाँ भूमि अवस्थित हो, निवास करने वाले युद्ध के दौरान शहीद हुए ऐसे सैनिकों का परिवार जिनके पास पचास डिसमिल से अनधिक कृषि भूमि हो:

परन्तु यदि वह ग्राम, जहाँ भूमि अवस्थित है, बेचिरागी (**uninhabited**) हो तो निकटस्थ ग्राम में रहने वाले पूर्वोक्त श्रेणी के परिवारों के बीच, कंडिका–5 में यथोल्लिखित प्राथमिकता अनुक्रम में, भूमि की अस्थायी बन्दोबस्ती की जायेगी।

6. महादलित, अन्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, पिछड़ी जाति एनेक्सर–**I** एवं **II** एवं युद्ध में शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के बीच भूमि पूर्वोक्त अर्हता श्रेणी के अनुसार शत–प्रतिशत अस्थायी बन्दोबस्ती लाभान्वित परिवारों के महिला सदस्यों के बीच की जायेगी। परिवार में महिला सदस्य नहीं रहने की स्थिति में ही परिवार के पुरूष सदस्यों के साथ अस्थायी बन्दोबस्ती की जाएगी।

7. अस्थायी बन्दोबस्त की गयी भूमि का उपयोग मात्र खेती के प्रयोजन से किया जाएगा। भूमि के गैर खेती के प्रयोजन से उपयोग करने पर प्रमंडलीय आयुक्त द्वारा सम्बन्धित भूमि की अस्थायी बन्दोबस्ती रद्द कर दी जायेगी। अस्थायी बन्दोबस्ती रद्द होने के उपरान्त, समाहर्त्ता सुयोग्य कोटि के अन्य परिवार के साथ, यथा पूर्वोक्त प्राथमिकता अनुक्रम में, सम्बन्धित भूमि की अस्थायी बन्दोबस्ती हेतु बन्दोबस्ती अभिलेख प्रमंडलीय आयुक्त की स्वीकृति हेतु भेजेंगे।

8. बन्दोबस्त की गयी भूमि के पुनः नदियों में जाने की दशा में, बन्दोबस्ती स्वतः रद्द हो जायेगी एवं सरकार के विरूद्ध कोई दावा नहीं किया जा सकेगा। नदियों के गर्भ से पुनः निकलने के बाद ऐसी भूमि की अस्थायी बन्दोबस्ती पाँच वर्षों के लिए खेती के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त वर्णित प्राथमिकता अनुक्रम के अनुसार, उपर्युक्त रीति से नये सिरे से की जायेगी।

9. इस नीति के प्रवृत्त होने पर, इस सम्बन्ध में पूर्व में निर्गत आदेश/अनुदेश तद्नुसार यथास्थिति विलोपित/संशोधित समझे जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

बिहार सरकार

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

संख्या–6/खा0म0अरवल–02/2011...../अधिसूचना संख्या..... दिनांक–.... ..... का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारत–संविधान के अनुच्छेद–348 के खंड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में इसका प्राधिकृत पाठ समझा जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

5.4.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

Government of Bihar
Department of Revenue & Land Reforms

NOTIFICATION

Patna-15, Date:-.....

No–6/Kh.Ma.Arwal–02 / 2011...../ **In exercise of the powers conferred by Article- 39 of the Constitution of India, the Government of Bihar is pleased to declare the following State policy for the temporary settlement of Chaur, Diara and Gang Barar Public lands with immediate effect:-**

"The Bihar Chaur, Diara and Gang Barar Public Land Temporary Settlement Policy, 2013."

On account of change in flow of rivers in the State lands come out of rivers as well as get submerged in the same. Lands coming out of the rivers become quite fertile in due course. Such lands may be both raiyati and of the Government. Even during the submergence in the rivers, the rights, title and interest of the raiyats concerned on the raiyati land remains intact and the raiyats retain their right to immediate possession over the same as it comes out of river. In the event of non settlement of public land coming out of rivers immediately, the said land is quite often occupied illegally by anti social elements which gives rise to law and order problems. This policy is being implemented to determine the procedure for earmarking land for public purpose which includes forestry and horticulture or for determining procedure for temporary settlement for agriculture purposes, of public land falling in Chaur/Diara/Gang Barar areas coming out of a river.

2. Advantages of the Policy.- (1) The Government may use Chaur, Diara and Gang Barar public land coming out of rivers for public purpose including forestry and horticulture. This may maintain the ecological balance as well as also encourage tourism.

(2) The Chaur, Diara and Gang Barar public lands coming out of rivers, which have become arable due to change in nature, may be temporarily settled for five years with eligible categories like Mahadalits, other Scheduled Castes, Scheduled Tribes,

Backward Classes, Annexure- I & II and the families of soldiers attaining martyrdom in war.

(2) The arable public land coming out of rivers may be managed in a better way.

(3) The tendency of anti social elements to occupy such public lands illegally may be checked.

3. Public use of Chaur, Diara and Gang Barar land.- The State Government, if requires, may earmark public land of Chaur, Diara and Gang Barar or any part of it for public purposes including forestry and horticulture after segregation. For the purpose of earmarking such land or any part of it for public use, the Collector of the district concerned will prepare the proposal and submit it before the Government for its approval through the Divisional Commissioner. After the consent of the Government such land or any part of it may be used for public purpose.

4. The Procedure of Temporary Settlement for the purposes of Agriculture.- The procedure for temporary settlement of public land coming out of rivers, which has become arable due to change in nature, shall be as follows:-

(i) The Chaur, Diara and Gang Barar public lands coming out of rivers, which have become arable due to change in nature may be temporarily settled for the purposes of agriculture for five years.

(ii) The Collector of the District shall submit proposal to the Divisional Commissioner for approval of temporary settlement of aforesaid land through a record. The record shall comprise details of land, check-slip, trace-map, list of beneficiaries in order of priorities and the details of area and boundary of the land to be settled with each beneficiary.

(iii) The Sub Divisional Officer concerned shall distribute parchas to the beneficiaries concerned after getting the approval of the Divisional Commissioner.

(iv) The land-rent against the settled land shall be assessed and realised as per the classification of land of the mauza concerned. In case land-rent of any class of land of the concerned mauza is not fixed either due to the submergence of the entire village or due to any other reason, the land- rent of the settled land shall be assessed on the basis of the land- rent fixed for the land of similar class of the nearest mauza.

(v) The land settled shall be non transferable and it can devolve hereditarily during the period of settlement.

(vi) No salami/fees shall be realised against the settled land.

(vii) The maximum area for purposes of settlement shall be one acre per family including the lands held by it earlier.

(viii) In case, a settled land submerges again in the river, this settlement shall automatically stand cancelled and no claim may be made against the Government. After re-emergence from the river, temporary settlement of such land for five years will be made afresh in accordance with the aforesaid manner in order of priority as mentioned in para-5.

5. Qualifications for temporary settlement.- The order of priority for qualifications shall be in as per the following pattern:-

(a) Mahadalit families not holding agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(b) Mahadalit families holding not more than fifty decimals of agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(c) Families belonging to other Scheduled Castes and Scheduled Tribes not holding agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(d) Families belonging to other Scheduled Castes and Scheduled Tribes holding not more than fifty decimals of agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(e) Families belonging to Backward Classes Annexure-I not holding agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(f) Families belonging to Backward Classes Annexure-I holding not more than fifty decimals of agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(g) Families belonging to Backward Classes Annexure-II not holding agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(h) Families belonging to Backward Classes Annexure-II holding not more than fifty decimals of agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(i) Families of such soldiers who have attained martyrdom in war not holding agriculture land residing in the village concerned where the land is situated;

(j) Families of such soldiers who have attained martyrdom in war holding not more than 50 decimals of agriculture land residing in the village concerned where the land is situated:

Provided if the village in which the land is situated is uninhabited, the land will be temporarily settled in accordance with the aforesaid priority pattern of among the persons of aforesaid categories residing in an adjacent village.

6. Cent percent temporary settlement shall be made in accordance with the aforesaid priority among the female members of the beneficiary families of Mahadalits, other Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Backward Classes Annexure-I and II and soldiers who have attained martyrdom during war. Only in case of no female member in the family, the temporary settlement shall be made with the male members of the family.

7. The temporarily settled land shall be used only for agricultural purpose. The Divisional Commissioner shall cancel the temporary settlement of the land concerned in case the land is used for non agricultural purposes. After the cancellation of the temporary settlement, the Collector, shall send settlement record to the Divisional Commissioner for temporary settlement of the land concerned as per aforesaid order of priority, with other family of suitable category.

8. In case of submergence of the settled land again in the rivers, the settlement will be cancelled automatically and no claim can be made against the Government. Temporary Settlement of such lands, after coming out of the rivers again, will be made freshly for five years for the purposes of agriculture as per order of priority as mentioned above in the above manner.

9. The orders/instructions issued in this behalf shall be deemed to have been deleted/modified, as the case may be, after coming into force of this policy.

By the order of the Governor, Bihar

sd/-

(C. Ashokvardhan)
Principal Secretary

ज्ञापांक–6 / खा0म0अरवल–02 / 2011.....(6) / रा0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलज़ारबाग, पटना–7 को दो प्रतियों तथा सी0डी0 के साथ सूचनार्थ एवं बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि प्रकाशित संकल्प की 1500 (एक हज़ार पाँच सौ) प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0अरवल–02 / 2011.....(6) / रा0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–महालेखाकार, बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0अरवल–02 / 2011.....(6) / रा0 पटना–15, दिनांक–

फैक्स

प्रतिलिपिः–सभी समाहर्त्ता, बिहार / सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0अरवल–02 / 2011.....(6) / रा0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–सभी प्रधान सचिव / सचिव / विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0अरवल–02 / 2011.....(6) / रा0 पटना–15, दिनांक–

प्रतिलिपिः–माननीय मुख्य मंत्री, बिहार के सचिव / माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव / मुख्य सचिव, बिहार / विकास आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ प्रेषित।

ह0 / –
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–6 / खा0म0अरवल–02 / 2011.....788.....(6) / रा0 पटना–15, दिनांक–18/6/13

प्रतिलिपिः–प्रबंधक, सूचना प्रौद्योगिकी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय वेब–साइट पर प्रकाशनार्थ प्रेषित।

18/6/13
(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव